राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकः प.स 7(12)/प्र–1/मॉनिटरिंग/2018/26942 दिनांकः 22-10-2018

प्रधानाचार्य,
प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

विषयः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गुणवत्ता बनाए रखना एवं प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु Biometric With Face Recognition तकनीकी की व्यवस्था करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं मानदण्डों को बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं मानदण्डों की जांच हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा संस्थानों में अनियमितताएं पाई जा रही है। अतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही संस्थान संचालक/प्रधानाचार्य द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जावे–

1. ज़िस स्थान पर संस्थान/व्यवसायों को DGT नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा सम्बंधन/मान्यता प्रदान की गई हैं संस्थान उसी स्थान एवं पते पर एवं NCVT Norms के अनुसार संचालित हो।
2. DGT नई दिल्ली भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डानुसार व्यवसायों/यूनिटों में समस्त औजार, उपकरण–मशीनरी, साजो–सामान उपलब्ध हो।
3. DGT नई दिल्ली भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डानुसार व्यवसायों/यूनिटों में तकनीकी स्टाफ एवं संस्थान में अन्य आवश्यक स्टाफ शत–प्रतिशत उपलब्ध होने चाहिये।
4. संस्थान में कार्यरत समस्त स्टाफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से होना चाहिये।
5. संस्थान में डीजीटी मानदण्डानुसार आईटी लेब की समूचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
6. औ.प्र. संस्थान की स्वयं की वैब–साईट होनी चाहिये तथा संस्थान से संबंधित सभी सूचनाए वैब–साईट पर अपडेटेड होनी चाहिये।
7. संस्थानों में प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु Biometric With Face Recognition तकनीकी की व्यवस्था की जावे।

भवदीय,

उपनिदेशक प्रशिक्षण